लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 263

जिसका उत्तर बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को दिया जाएगा

एनसीसीएफ से खरीदारी

263. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ(एनसीसीएफ) को 2016 से सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों के उपयोग के लिए स्टेशनरी, सफाई सामग्री, कंप्यूटर सहायक सामान, फर्नीचर सामान आदि जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए केंद्रीकृत नई सरकारी ई-मार्केटप्लस(जीईएम) खरीद प्रणाली की शुरुआत करने के बाद आदेश देना बंद कर दिया है और इसके परिणास्वरूप एनसीसीएफ आपूर्तिकर्ता और उनके कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) क्या सरकार देश के छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का कम से कम एक लाख से कम खरीद की सीमा रखने के लिए एनसीसीएफ को दिए गए अपने आदेशों को बहाल करने का कोई विचार है ताकि एनसीसीएफ का पुनरुद्धार किया जा सके और एनसीसीएफ के लाखों व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं को पुन: रोजगार प्रदान किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग): डीओपीटी के दिनांक 1.12.2014 के आदेश के अनुसार, सरकार ने केन्द्रीय भंडार, एनसीसीएफ और केन्द्र सरकार की प्रमुख शेयर होल्डिंग वाली अन्य बहु-राज्य सहकारी समितियों से स्टेशनरी की स्थानीय खरीद और अन्य गतिविधियों की अनुमति 31.03.2015 तक दी थी। केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद प्रदान करने के लिए 17 मई, 2017 को राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्थापना की गई थी। जीईएम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) और संबद्ध संगठन के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।

इसके अलावा, जीईएम सभी प्रकार के वेंडर अर्थात मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम), पुनर्विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को बिना किसी प्रवेश बाधा के अपने उत्पादों/सेवाओं को पंजीकृत करने और सूचीबद्ध करने के लिए एक खुला समावेशी मंच प्रदान करता है। इन पहलुओं ने वास्तव में समावेशी बाज़ार विकसित करने में सहायता की, जिससे बड़े और छोटे विक्रेता सरकार के साथ पारदर्शी एवं प्रभावशाली तरीके से व्यापार करने में सक्षम हुए। जीईएम ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), एमएसएमई नीति, स्टार्ट-अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न फंक्शनेलिटीज को भी सक्षम किया है।

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 149 के अनुसार, मंत्रालयों या विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): एनसीसीएफ से स्टेशनरी और अन्य गतिविधियों की स्थानीय खरीद की अनुमति के लिए दिए गए आदेशों को बहाल करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

हालांकि, एनसीसीएफ को मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस), मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) और सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना जैसी विभिन्न स्कीमों से संबंधित कार्य सौंपा गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीसीएफ का टर्नओवर अब तक का सबसे अधिक 2811.39 करोड़ रुपये और निवल लाभ 29.26 करोड़ रुपये रहा।

****